न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–150/2011/टोंक (2011/00023)

1. रूपनारायण पुत्र सुखपाल,
2. जयनारायण पुत्र सुखपाल,
3. सीताराम पुत्र सुखपाल,
4. मंगलराम पुत्र सुखपाल,

समस्त जाति मीणा, निवासी रतनपुरा उर्फ रोहड़ा, तह0 निवाई, जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पचांयत, चतुर्भुजपुरा, तह0 निवाई जरिये सरपंच छोटूराम जाट ।
2. लाडा पुत्री सुखपाल पत्नि ग्यारसीलाल,
3. भागोती पुत्री सुखपाल पत्नि गोपाल,
   जाति मीणा, निवासी शंकरपुरा, तह0 बस्सी, जिला जयपुर ।
4. भोली पुत्री सुखपाल पत्नि गोवर्धनलाल, जाति मीणा, निवासी हाल मुकाम, बी–19, महेशपुरा, जे.पी.कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर ।
5. लाली पुत्री सुखपाल पत्नि नाथू, जाति मीणा, निवासी हाल मुकाम सीदड़ा, तहसील निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक दिनांक 13.7.2011 अंतर्गत अपील संख्या 4/2008.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 27.11.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2011 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता सुखपाल पुत्र रामदेव जाति मीणा की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 13, 143, 567, 144, 145, 567, 181 ग्राम रतनपुरा उर्फ रोहिडा, तहसील निवाई में अवस्थित है । अपीलांट्स के पिता सुखपाल का स्वर्गवास होने पर विरासत का नामांतकरण संख्या 614 ग्राम पंचायत चतुर्भुजपुरा द्वारा दिनांक 28.1.2008 को अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सख्या 2 लगायत 5 के नाम तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलांट्स जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते है एवं सामाजिक रीति–रिवाज एवं पीढ़ियों से चले आ रहे मीणा जाति के उत्तराधिकार की व्यवस्था के अनुसार पुत्रियों को सम्पति में हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता है । अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 614 दिनांक 28.1.2008 के विरूद्ध प्रथम अपील अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विवादित नामांतकरण संख्या 614 को निरस्त करने का निवेदन किया। अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 13.7. 2011 द्वारा अपीलांट्स की प्रथम अपील को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि पक्षकारान जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिनके विरासत तस्दीक करने हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है वरन् जातिगत रीति–रिवाज एवं प्रथा के अनुसार ही विरासत तस्दीक होती है जिसके अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पति में हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता है केवल मात्र पुरूष सदस्य ही पिता की सम्पति में हिस्सा प्राप्त करता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट्स ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 2 (2) की और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि धारा 2 (2) के अनुसार उक्त अधि0 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद भी विचाराधीन है जिसमें दिनांक 14.1.2008 को स्थगन आदेश भी जारी किया गया है । नियमित वाद विचाराधीन होने तथा स्थगन आदेश प्रभावी रहने के बावजूद ग्राम पंचायत, चतुर्भुज द्वारा दिनांक 28.1.2008 को नामांतकरण संख्या 614 पारित नहीं किया जा सकता था जिससे नामांतकरण संख्य 614 काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में अधी0न्याया0 में वाद विचाराधीन होने से प्रकरण विवादित की श्रेणी में आता है जिससे ग्राम पंचायत को विवादित नामांतकरण तस्दीक करने का

अधिकार नहीं था । ग्राम पंचायत को वाद के निर्णय तक नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 व 5 द्वारा उनके नाम पिता की सम्पति गलत दर्ज किये जाने से उन्होंने अपना हिस्सा अपीलांट्स को प्रदान कर दिया गया है तथा इस बाबत् आवश्यक रूप से हक त्याग पत्र भी निष्पादित किये जा चुके है जिनके आधार पर उनके हिस्से की भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज हो चुकी है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट्स की अपील अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 13.7.2011 एवं नामांतकरण संख्या 614 दिनांक 28.1.2008 को अपास्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजियात का अपीलांट्स के नाम नामांतकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1966 पेज 81, आर0आर0डी0 1988 पेज 1, आर0आर0डी0 2002 पेज 31 एवं आर0आर0डी0 2006 पेज 1216 के न्यायिक दृष्टांत भी उद्धरित किये ।

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का मूल खातेदार सुखपाल था जिसकी मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 614 दिनांक 28.1.2008 को ग्राम पंचायत, चतुर्भुजपुरा द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के नाम तस्दीक किया गया है । अपीलांट्स का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट्स का नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में विचाराधीन है। इसी क्रम मे अपीलांट्स का यह भी कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 3 व 5 द्वारा विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट्स के पक्ष में हक त्याग पत्र निष्पादित कर दिया है तथा उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 3 व 5 की भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज हो चुकी है । अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि पक्षकारान जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा मीणा समाज में केवल मात्र पुरूष सदस्यों को ही मृतक की सम्पति में अधिकार प्राप्त होते है। इस संबंध में अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने आर0आर0डी0 1988 पेज 61 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act. Section 40 read with Section 2 (2) of Hindu succession Act- Till issue of notification contemplated in Section 2 (2) of Hindu Succession Act, Schuduled Tribes will, in matter of succession, continue to be governed by old Hindu law of their own customary laws as the case may be."

5- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवाद अनुसूचित जनजाति के मूल खातेदार की मृत्यु पश्चात कृषि भूमि की विरासत को लेकर है परन्तु इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 614 दिनांक 28.1.2008 पारित करते समय हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 2 (2) का अवलोकन किये बिना पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 2 (2) के क्रम में एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधी0न्याया0 द्वारा करवाया जाना उचित समझते है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2011 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 150/2011 (2011/00023) बउनवानी रूपनारायण बनाम ग्राम पंचायत, चतुर्भुजपुरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा प्रकरण संख्या 4/2008 बउनवान रूपनारायण बनाम ग्राम पंचायत में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि, प्रकरण में अपीलांट्स के अभिभाषक द्वारा निर्णय के पैरा 3 में उल्लेखित न्यायिक नजीरो मे प्रतिपादित सिद्धान्त एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 2 (2) के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 11:51:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: